भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *105
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति

†***105. श्री सेल्वाराज वी.:**
श्री सुब्बारायण के.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आपदाओं की विकरालता और इनके कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित राज्यों को तत्काल प्रदान की गई वित्तीय सहायता और आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *105, दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के उत्तर में विवरण।

(क) और (ख): यह मंत्रालय बाढ़ और भूस्खलन सहित किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखता है। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 (27.11.2024 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए नुकसान का विवरण अनुलग्नक-I में है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

2024-25 के दौरान दिनांक 27.11.2024 तक, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के मौके पर आकलन के लिए असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए कुल 12 आईएमसीटी गठित की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा आईएमसीटी की रिपोर्टों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 (27.11.2024 तक) के दौरान एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

****